न्यायालय– जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन (राज.) ।

पीठासीन अधिकारी – नाहर सिंह मीणा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी मूल अपील आदेश प्रकरण सं.– 06/2023
सी.एन.आर. नंबर –RJDK010003512021

1. भंवरसिंह पुत्र मेघाराम, उम्र–55 वर्ष, निवासी–खोजास, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।
2. विनोद सिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाब कंवर(माता) पुत्र गोपालसिंह, उम्र–37 वर्ष, निवासी–विडोली, तहसील–धोद, जिला–सीकर ।

–अपीलार्थीगण.

बनाम

1. राम कंवर पत्नी ओम सिंह, उम्र–59 वर्ष, निवासी– जूसरिया, तहसील– मकराना, जिला–डीडवाना कुचामन ।
2. **मेघाराम पुत्र रीधाराम(फौत होने से आदेश दिनांक 11.07.2025 से नाम हटाया गया**)
3. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह, उम्र–64 वर्ष, निवासी–खोजास, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।
4. तहसीलदार(उप पंजीयक), डीडवाना ।

–प्रत्यर्थीगण.

अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 व सपठित धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, विरुद्ध आदेश एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 जो श्री नारायण प्रसाद (आर.जे.एस.) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 04/2020, बउनवान भंवरसिंह वगैरह बनाम राम कंवर वगैरह में पारित किया गया, से व्यथित होकर पेश की गई ।

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ व श्री नेमीचंद शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण की ओर से ।
2. श्री विकास ठोलिया व श्री हाकम अली खां, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से ।
3. प्रत्यर्थी सं.3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित ।

– आदेश – दिनांक 21.05.2026

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण भंवरसिंह वगैरह द्वारा प्रत्यर्थीगण राम कंवर वगै. के विरूद्ध, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना (जिसे आगे निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा) द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं.04/2020, बउनवान भंवरसिंह वगै. बनाम राम कंवर वगै. में पारित आदेश/डिक्री दिनांक 07.09.2020 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत की गई है ।

2. अपीलार्थीगण के अनुसार हस्तगत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वाके सरहद खोजास खेत खसरा नंबर 262/134 रकबा 17 बीघा भूमि अपीलार्थी/वादी भंवरसिंह के पिता प्रत्यर्थी सं.2 के नाम राजस्व रेकर्ड में थी, जिसके पूर्व में खसरा नंबर 134 रकबा 44 बीघा अपीलार्थी/वादी भंवरसिंह के दादा स्वर्गीय रिधाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में होकर उक्त भूमि पैत्रृक संपत्ति की है । अपीलार्थी/वादी भंवरसिंह मजदूरी करने हेतु नासिक रहता है, जिसका गलत फायदा उठाकर अपीलार्थी/वादी के पिता प्रत्यर्थी सं.2 ने पूर्व में भी प्रत्म्रथी सं.3 को वादग्रस्त पैत्रृक संपत्ति की भूमि में बिना बंटवारा करवाये ही 05 बीघा भूमि का बेचान कर दिया, फिर भी अपीलार्थी/वादी लोक लाज की वजह से चुप रहा । अपीलार्थी/वादी भंवरसिंह ने अपने पिता प्रत्यर्थी सं.2 मेघाराम द्वारा पैत्रृक संपत्ति में से किए बेचान का पुत्रधर्म निर्वहन के कारण चुप रहा, जिसका गलत फायदा उठाकर प्रत्यर्थी सं.1 ने प्रत्यर्थी सं.2 से वृद्धावस्था का फायदा उठाकर अपीलार्थी/वादी की पैत्रृक संपत्ति की भूमि का खसरा नंबर 262/134 रकबा 17 बीघा का अपने पक्ष में बख्शीशनामा बनवा लिया, जिस बख्शीशनामा को निरस्त करार देने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालयों को ही है, फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील के आधारों में अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह उल्लेखित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की बिना सुनवाई किए ही प्रथम सोपान पर ही वाद को आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया, जबकि उक्त गिफ्ट डीड को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है। उक्त बख्शीशनामा में वर्णित भूमि वादपत्र के पद सं.1 में वर्णित वंशावली अनुसार पैत्रृक संपत्ति की होकर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं.1 व 2 की हक, अधिकार की है, जिस भूमि को प्रत्यर्थी सं.2 ने प्रत्यर्थी सं.1

को बिना हक व अधिकार के बख्शीश कर दिया, जो अपने आप में कानूनन वर्जित है । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2020 में अपीलार्थीगण/वादीगण को सक्षम न्यायालय से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत घोषणा करवाने के पश्चात् ही बख्शीशनामा निरस्त हेतु वाद प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया, जबकि वादीगण ने सक्षम न्यायालय में घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसका उल्लेख अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने वाद में भी किया है, परन्तु अपीलार्थीगण/वादीगण खातेदारी की घोषणा होने के पश्चात् बख्शीशनामा निरस्त हेतु वाद प्रस्तुत करें तो उक्त बख्शीशनामा निरस्त की मियाद ही समाप्त हो जायेगी व प्रत्यर्थी सं.1 गलत खातेदारी के आधार पर उक्त का बेचाण भी कर सकती है, जिससे वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी व अपीलार्थीगण/वादीगण को न्याय मिलने में विलम्ब होगा । अंत में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर वादीगण का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने दौराने बहस अपील के आधारों में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की और अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/डिक्री को अपास्त किये जाने एवं वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया । विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया–

    1. एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.229/2023 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, सोहनसिंह बनाम राजकीदेवी व अन्य, निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 2025.

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुये दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है । अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज कर आलौच्य आदेश व डिक्री की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं प्रकरण पत्रावली का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादीगण/अपीलार्थीगण

भंवरसिंह वगैरह ने प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दावा बाबत निरस्त करार देने बख्शीशनामा दिनांक 24.06.2016 तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था तथा वादपत्र के पैरा सं.1 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 व 2 का वंशवृक्ष (सजरा)अंकित करते हुए पैरा सं.2 में अंकित किया है कि वाके सरहद खोजास खेत खसरा नं.265/134 रकबा 17 बीघा वादी के पिता मेघाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, उक्त भूमि का पहले खसरा नंबर 134 रकबा 44 बीघा वादी के दादा स्वर्गीय रिधाराम के नाम संवत् 2006 की खतौनी में दर्ज होकर पट्टा जारी किया हुआ था, जो भूमि रिधाराम के तीनों पुत्रों के बराबर 1/3–1/3 दर्ज हो गई । वर्तमान खेत खसरा नंबर 262/134 रकबा 17 बीघा वादी के पिता मेघाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही । उक्त भूमि पैत्रृक संपत्ति की है । वादी के पिता मेघाराम ने बिना किसी आवश्यकता के उक्त पैत्रृक संपत्ति में से 05 बीघा भूमि बेचान कर दी, जिसके खसरा नं.304/134 पड़े व उक्त भूमि प्रतिवादी भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई तथा प्रतिवादीनी राम कंवर ने प्रतिवादी मेघाराम की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर उक्त पैत्रृक संपत्ति का बख्शीशनामा अपने निकट रिश्तेदार देवर के पुत्र लक्ष्मणसिंह व सगे देवर गुमान राम को गवाहान दर्ज करवाकर करवा लिया । वादीगण ने अपने वादपत्र में अंत में अनुतोष चाहा है कि बख्शीशनामा दिनांक 24.06.2016 को वादीगण के हितों के प्रति NULL AND VOID तथा निरस्त घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं.1 व 2 को इस हेतु पाबन्द किया जाये कि दौराने वाद वादग्रस्त खसरान का बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी पक्ष के कब्जे काश्त में न स्वयं दखल करें, न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि से करावे ।

8. वादीगण द्वारा उक्तानुसार अनुतोष की मांग करते हुये विचारण न्यायालय में वाद पेश किया गया, जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई और सुनवाई की प्रथम पेशी पर ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कार्यालय रिपोर्ट पर सुनकर वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश दिनांक 07.09.2020 के अनुसार खारिज कर दिया, जिस आदेश व डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

9. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय वादपत्र में वादी द्वारा लिये गये अभिवचनों को देखा जाना होता है । यद्यपि पक्षकारान के मध्य मूल विवाद बिन्दुओं का निस्तारण मूल वाद में उभय पक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात् ही किया जा सकता है, परन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र में विवादित

कृषि भूमि को अपनी पैत्रिक संपत्ति होना व इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की हैं, जिनके संबंध में कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण का पत्रावली पर नहीं है तथा विवादित संपत्ति पैत्रिक संपत्ति होने के बावजूद प्रतिवादी सं.2 मेघाराम द्वारा बिना किसी आवश्यकता के उक्त पैत्रृक संपत्ति में से 05 बीघा का भूमि बेचान कर दी, जिसके खसरा नं.304/134 पड़े, जो भूमि प्रतिवादी भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई तथा प्रतिवादीनी राम कंवर ने प्रतिवादी मेघाराम की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर उक्त पैत्रृक संपत्ति का बख्शीशनामा अपने निकट रिश्तेदार देवर के पुत्र लक्ष्मणसिंह व सगे देवर गुमान राम को गवाहान दर्ज करवाकर करवा लिया, जिस बख्शीशनामा दिनांक 24.06.2016 को वादीगण के हितों के प्रति NULL AND VOID तथा निरस्त घोषित करवाने इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारण न्यायालय में वादपत्र पेश किया गया था, जो वैधानिक दृष्टि से गलत होना दर्शित नहीं होता है तथा किसी दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही होना दर्शित होता है ।

10. जहॉ तक विवादित संपत्ति वादीगण/अपीलार्थीगण के नाम नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में वादीगण/अपीलार्थीगण अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि उन्होंने इस संबंध में राजस्व न्यायालय में वाद पेश कर रखा है, जिसकी प्रति भी वादीगण की ओर से पेश की हुई है । इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

11. **न्यायिक दृष्टांत –2018(2) डीएनजे (राज.) 681, चैनाराम भाट बनाम श्रीमती शांति भाट व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि– "सिविल प्रकिया संहिता , 1908, आदेश 7 नियम 11, वादपत्र को खारिज करना, प्रार्थना पत्र खारिज किया, विक्रय पत्र रद्द करने हेतु वाद–विक्रय पत्र कृषि भूमि से संबंधित है तथा प्रतिवादीगण ने वादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की, क्योंकि सिविल कोर्ट को क्षेत्राधिकारिता नहीं है तथा वाद मियाद द्वारा बाधित है– इस प्रक्रम पर न तो बचाव अभिवाक् और न पेश किये दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है–संयुक्त परिवार की संपत्ति तथा संपूर्ण भूमि विक्रय करने का "एम" को अधिकार नहीं था, वाद में आधार लिये, विक्रय पत्र शून्यकरणीय होगा, मियाद का प्रश्न तनकी विरचित करने और साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद निर्णीत किया जा सकता है- निर्णीत, निगरानी गुणागुणहीन है व खारिज**

की ।"

12. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत- **एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.229/2023 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, सोहनसिंह बनाम राजकीदेवी व अन्य, निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 2025 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि – यदि वादपत्र में चाहे गए अनुतोष का सार यह दर्शाता है कि दस्तावेज शून्य है और उसे रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और वादी दस्तावेज को बिना रद्द कराए ही संबंधित कृषि भूमि पर खातेदारी के अधिकार से संबंधित घोषणा प्राप्त कर सकता है, तो केवल राजस्व न्यायालयों को ही इस मामले पर विचार करने का अधिकार होगा और परिणामस्वरूप दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित होगा । हालांकि, यदि वादपत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार किसी दस्तावेज को शून्यकरणीय साबित करते हैं तो ऐसे शून्यकरणीय दस्तावेज को रद्द करने की राहत केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है, भले ही दस्तावेज कृषि भूमि से संबंधित हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 के तहत मुकदमा विधि द्वारा वर्जित नहीं होगा । इसलिये प्रत्येक मामले में, जहाँ इस संबंध में कोई मुद्दा उठाया जाता है, निचली अदालत को मुकदमे की अवस्था के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या कथित तथ्य, यदि स्थापित हो जाते हैं या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के मामले में स्थापित हो जाते हैं, तो दस्तावेज को शून्य या शून्यकरणीय बनाते हैं और तदनुसार निर्णय लेना होगा।**

13. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के के तथ्य हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुसार अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/डिक्री दिनांक 07.09.2020 अपास्त किये जाने योग्य है ।

–आदेश–

15. परिणामतः अपीलार्थीगण भंवरसिंह वगैरह की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण राम कंवर वगैरह प्रकरण दीवानी मूल सं.04/2020 एतद्द्वारा स्वीकार जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के आदेश/डिक्री दिनांक 07.09.2020 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण को पुनः नंबर पर दर्ज कर पक्षकारान को तलब

कर उनके अभिवचनों, साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात् विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निर्णय पारित करें । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे । इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें ।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना ।

16. आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना ।